

विचार बिन्दु

नारी सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुःख, बड़े से बड़ा संकट। नहीं सह सकती तो अपनी उमंगो का कुचला जाना। –प्रेमचंद

हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो!

व्यावसायिक दुनिया में अपने उत्पाद को दूसरों के उत्पाद से बेहतर बनाने और बताने की परंपरा रही है। यह व्यवसाय की ज़रूरत भी है। लगभग एक जैसे लगने वाले अनेक उत्पादों में से कोई आपका उत्पाद ही क्यों चुने, इस सवाल का जवाब अधिकांश विज्ञापनों और प्रचार सामग्री के केंद्र में होता है। विज्ञापनों की एक नैतिकता यह भी होती है कि सामान्यतः अपने उत्पाद की विशेषताएं बताई जाती हैं और प्रतिस्पर्धी उत्पाद की कमियां बताने से बचा जाता है। अपेक्षा की जाती है कि किसी भी विज्ञापन में झूठ और आधारहीन दावे नहीं किए जाएं। लेकिन बहुत बार इस नैतिकता या कहे आचार संहिता का उल्लंघन होता है, इस उल्लंघन की आलोचना भी होती है और कभी-कभार ये मामले नियामक निकायों तक भी जाते हैं और इन पर समुचित कार्यवाही भी होती है। विज्ञापनों को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं। कोई विज्ञापन अगर प्रतिगामी मूल्यों का समर्थन करता है तो उसकी आलोचना होती है, अगर विज्ञापन कोई मिथ्या या खोखला दावा करता है तो उसकी आलोचना होती है और किसी विज्ञापन में अगर अनावश्यक रूप से स्त्री देह का उपयोग किया जाता है तो उसकी भी आलोचना होती है, यह चर्चा बहुत बार होती है कि ऐसे अनेक उत्पादों के लिए खरीददार को आकर्षित करने के लिए स्त्री देह का प्रयोग किया जाता है जिनके उपभोग में स्त्री की कोई भूमिका होती ही नहीं है। इस कृत्य को अनैतिक और निंदनीय माना जाता है। पिछले कुछ समय से हमारे यहां विज्ञापनों में एक और नया तत्व प्रविष्ट करा दिया गया है, और वह नया तत्व है राष्ट्रवाद। अगर आप इस उत्पाद का प्रयोग करेंगे तो आप देशभक्त हैं, अन्यथा.....समझ लीजिए कि आप क्या है ! लेकिन सुखद बात यह है कि यह प्रवृत्ति ज़्यादा चलन में नहीं आई। हो सकता है विज्ञापन देने वालों को यह फॉर्मूला उपयोगी नहीं लगा हो। अपना माल बेचने वालों के सामने भी यह चुनौती तो हमेशा ही रहती है कि कैसे वे ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करें। शायद इसी चुनौती ने हाल में एक उत्पादक को अपना माल बेचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने के लिए विवश किया है।

इधर कुछ दिनों से एक खास उत्पाद के निर्माता का एक बयान बहुत चर्चा में है जिसमें उन्होंने एक अन्य प्रतियोगी निर्माता के उसी तरह के उत्पाद को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम हैं कि अभी भी जाति और धर्म में अटक हुए हैं। अगर कभी उससे निकल भी जाते हैं तो कोई न कोई बंदा आता है और कोशिश करके हमें फिर उसी में खींच ले जाता है। मैं जानबूझकर उत्पाद, निर्माता और धर्मा-सम्प्रदाय विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं। इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मेरा मकसद एक व्यापक मुद्दे पर आपको सोच को झकझोरना है। अगर हम नाम की बात करेंगे तो अनावश्यक विवाद में उलझकर रह जाएंगे।

यहां पहले यह बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि धर्म हम में से हरेक का निजी मामला है। कौन किस भगवान, गॉड या अल्लाह की मानता है या किसी को भी नहीं मानता है – यह उसका निजी मामला है और इसे निजी ही रहने देना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन में अन्य बहुत सारी असमानताओं से प्रभावित नहीं होते हैं उसी तरह हमें धर्म विषयक असमानता पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यह बात कोई रहस्य नहीं रह गई है कि

सौंदर्य विविधता में ही होता है, और विविधता का सम्मानपूर्वक स्वीकार हमारे परिवेश को बेहतर बनाता है। गुलाब से यह क्यों उम्मीद की जाए कि वह चमेली जैसा होगा और पर्वत से क्यों उम्मीद की जाए कि वह सागर जैसा हो जाए। जो जैसा है वैसा ही रहे और हम उसे आदर दें, यही तो हमारे जीवन का सौंदर्य है। लेकिन इधर जाने क्यों कुछ लोगों पर ‘एक का भूत सवार है। वे चाहते हैं कि सब कुछ एकरंगी हो जाए।

का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास अपना विवेक है। हम तो अपना भला-बुरा समझते हैं !

व्यापार व्यापार की शर्तों और मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। आप अच्छे से अच्छा उत्पाद बनाएं, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करें, अपने उत्पादों के निर्माण में कोई अनुचित या नियम विरुद्ध काम न करें, उसे उचित मूल्य पर बेचें और यह सब करते हुए लाभ अर्जित करें – इसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आखिर दुनिया की अधिकांश गतिविधियां उद्योग-व्यापार के इर्द-गिर्द ही तो घूमती हैं। मानव सभ्यता विकास करते-करते आज जिस मुकाम तक आ पहुंची है उसमें इनकी भूमिका की अनदेखी नहीं की सकती है। उद्योग व्यापार हमारी सारी गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं और उनके बगैर आज के समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन यह सारा कारोबार व्यवस्थित रूप से चलता रहे इसके लिए उन सारी व्यवस्थाओं और नीतियों का पालन ज़रूरी है जिनकी अपेक्षा हर सभ्य समाज करता है। और यही यह भी कह दूं कि इन व्यवस्थाओं का पालन केवल उद्योग व्यापार के लिए ही नहीं समग्र समाज के लिए ज़रूरी है।

हमारा समाज अनेके रंग-रूपों से निर्मित है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि विविधता, न कि एकरूपता हमारे समाज की विशिष्टता है। रशरशर सैलानी साहब ने क्या खूब कहा है –चमन में इखिलात-ए-रंग-ओ-बू (रंग और गंध का मेल) से बात बनती है/ हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सौंदर्य विविधता में ही होता है, और विविधता का सम्मानपूर्वक स्वीकार हमारे परिवेश को बेहतर बनाता है। गुलाब से यह क्यों उम्मीद की जाए कि वह चमेली जैसा होगा और पर्वत से क्यों उम्मीद की जाए कि वह सागर जैसा हो जाए। जो जैसा है वैसा ही रहे और हम उसे आदर दें, यही तो हमारे जीवन का सौंदर्य है। लेकिन इधर जाने क्यों कुछ लोगों पर ‘एक का भूत सवार है। वे चाहते हैं कि सब कुछ एकरंगी हो जाए। एक तो ऐसा होना कभी भी सम्भव नहीं है, और दूसरी बात यह कि एक होने के जुनून में आप दूसरे की विशिष्टता को कुचलने का जो उपक्रम करते हैं वह मानवीयता के सारे प्रतिमानों के विरुद्ध है। आज सारी दुनिया एक वैश्विक गांव में बदलती जा रही है। उसकी विविधता को अस्वीकार कर आप उस एक कबीलाई समूह की तरह एकरंगी बनाना चाहें तो इसे भला कौन स्वीकार करेगा? हम हमेशा से भारत को अनेकता में एकता का देश कहकर गौरवान्वित होते रहे हैं। आज अगर यह अनेकता कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी है तो उन लोगों को ही अपने सोच और अपने नज़रिये पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमें भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

आज का समय बहुत नाजुक समय है। हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता विकास का है और दूसरा रास्ता विनाश का। बहुत सारी ताकतें हैं जो अपनी मूर्खता में विनाश के रास्ते को ही विकास का रास्ता समझे बैठी हैं और हमें उस रास्ते पर ले जाना चाहती हैं। इस विकट समय में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपना विवेक बनाए रखें और विनाश के रास्ते पर धकेले जाने से बचें। न केवल हम बचें, अपने सहयात्रियों को भी आगाह करें कि वे विनाश की राह पर आगे न बढ़ें।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)



पंडित अनिल शर्मा

आज यमघट योग रात्रि 12:14 से सूर्योदय तक है। आज संक्रांति पूष्यकाल पूर्वाह्न में है। मीन मल मास समाप्त होगा। आज मेघादि और कडक पूजा है। आज प्रतिपदा तिथि में वृद्धि हुई है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:43 तक, शुभ 9:18 से 10:52 तक, चर 2:02 से 3:37 तक, लाभ-अमृत 3:37 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:46

राशिफल

सोमवार 14 अप्रैल, 2025

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, सोमवार, विक्रम संवत् 2082, स्वाती नक्षत्र रात्रि 12:14 तक, वज्र योग रात्रि 10:38 तक, कीर्तव्य करण प्रातः 8:25 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
आज यमघट योग रात्रि 12:14 से सूर्योदय तक है। आज संक्रांति पूष्यकाल पूर्वाह्न में है। मीन मल मास समाप्त होगा। आज मेघादि और कडक पूजा है। आज प्रतिपदा तिथि में वृद्धि हुई है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:43 तक, शुभ 9:18 से 10:52 तक, चर 2:02 से 3:37 तक, लाभ-अमृत 3:37 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:46



मेघ

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।



तुला

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।



वृष

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे मतभेद समाप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। पारिवारिक यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



वृश्चिक

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अमंगल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। धार्मिक यात्रा संभव है।



मिथुन

परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक कारणों से घर-परिवार में सुधार बने लगेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



कर्क

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्यों के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



सिंह

नौकरपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक संर्क बनेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आवासर प्राप्त होंगे।



कुंभ

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। शुभ कार्य से संबंधित यात्रा संभव है।

मीन

चन्द्रमा अग्रम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

आरटीई एक्ट- बच्चों की शिक्षा के लिये हितकारी या अहितकारी?



राजेन्द्र भागवत

भारतीय संविधान में कई प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। इनमें प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं था। शिक्षा के महत्व को देखते हुए 2002 में संविधान संशोधन करके, अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क घोषित कर दिया गया। इस मौलिक अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 बनाया। इसे संसद द्वारा 4 अगस्त, 2009 को पारित किया गया तथा 26 अगस्त, 2009 को इसे राष्ट्रपति जी की सहमति मिली। इसे 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया। इस कानून को लागू हुए 15 वर्ष हो चुके हैं अतः यह समीक्षा आवश्यक है कि यह अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ है एवं क्या इसके कारण भारत के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो पाई है या नहीं?

शिक्षा का अधिकार कानून या आरटीई एक्ट का उद्देश्य ही था कि भारत के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा, संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित है। भारत सरकार ने विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसके माध्यम से भवन और शौचालय निर्माण का कार्य बड़े स्तर पर हुआ। किंतु आज

भी वस्तु स्थिति यह है कि बहुत से विद्यालयों में बालिकाओं के लिए या तो शौचालय नहीं है या कार्यरत नहीं है। खेल के मैदान नहीं हैं और शिक्षकों के अभाव के कारण अधिकांश बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अभी तक वंचित हैं। इस कानून के प्रावधानों का पालन, राज्य सरकारों ने नहीं किया है। इनमें से हम कुछ का ही उल्लेख इस लेख में करेंगे कि किस प्रकार सरकार बच्चों, विशेषकर वंचित वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

आरटीई एक्ट का एक बड़ा प्रावधान यह था कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को संचालित करने के लिए भी सरकार से मान्यता लेनी पड़ेगी। इसके लिए निर्धारित आवश्यकताएं इतनी अव्यवहारिक और प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई कि निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए विद्यालय संचालित करना लगभग असंभव हो गया। उदाहरण के लिए, प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए 6 कमरे और 500 वर्ग गज का खेल का मैदान चाहिए। किसी भी संस्था के लिए जयपुर जैसे शहर में इसके लिए 4-5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि सरकार के स्वयं के प्राथमिक विद्यालय 2-3 कमरों में चल रहे हैं और जहां खेलने हेतु कोई स्थान नहीं है। उसका परिणाम यह हुआ कि ईमानदार स्वेच्छिक संस्थाओं के लिए मान्यता प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया और इस कार्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया।

जिन बच्चों के लिए माता-पिता के काम में हाथ बंटाने के कारण नियमित रूप से विद्यालय जाना संभव नहीं है, उनके लिए तो शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पहले ही समाप्त हो गए थे। यह उल्लेखनीय है कि बाल श्रम करने वाले बच्चों के लिए चलने वाले अनौपचारिक शिक्षा के सभी केंद्र पहले ही बंद कर दिए गए थे। राजस्थान में लगभग 20000 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालित थे। सरकार बाल श्रम तो समाप्त नहीं कर पाई बल्कि इनके लिए

शिक्षा के जो वैकल्पिक अवसर उपलब्ध थे, उन्हें भी समाप्त कर दिए। शिक्षा के अधिकार कानून से पहले ही अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ये बच्चे अशिक्षित वयस्क के रूप में ही बड़े हो रहे हैं। साक्षरता और सतत शिक्षा का काम बंद कर देने से वयस्कों के लिए पढ़ने लिखने के अब कोई अवसर नहीं है।

आर टी ई एक्ट में यह भी प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय किसी बालक बालिका को 14 वर्ष तक की आयु तक अपने आयु के अनुसार कक्षा में भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता। किंतु, वास्तविकता यह है कि किसी भी विद्यालय में प्रवेश के समय पिछले विद्यालय की टी सी मांगी जाती है। टी सी के अभाव में अनेक बच्चे आज भी किसी विद्यालय में प्रवेश करने से वंचित हैं, विशेषकर वे जिनकी आयु 9 से 14 वर्ष के बीच है।

यहां तक कि सरकार की विद्यालय में भी प्रवेश नहीं होता। यदि कोई प्रधान अध्यापक कानून के प्रावधान के अनुसार 13 वर्ष की किसी बालिका को सातवीं क्लास में भर्ती कर भी ले, तो यह केवल कल्पना की जा सकती है कि जो बच्चा कभी स्कूल में नहीं गया हो, वह सीधे सातवीं क्लास की पढ़ाई किस प्रकार कर पाएगा? कानून के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों लिए सुधारात्मक शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन बच्चों को प्रवेश दे भी दिया गया, वे कुछ समय में विद्यालय छोड़ देते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को मूलभूत लिखना पढ़ना और अंकों का ज्ञान भी न हो, वे किस प्रकार पांचवीं, छठवीं या सातवीं की पढ़ाई कर सकते हैं? अतः कानून का यह प्रावधान केवल कागजी ही साबित हो रहा है। राजस्थान में किसी भी सरकारी विद्यालय में ऐसे बच्चों को अपनी कक्षा के स्तर तक लाने का कोई समुचित व्यवस्थित प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस कारण भविष्य में कितने बच्चे अशिक्षित ही

रह जाएंगे, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। साक्षरता और सर्व शिक्षा कार्यक्रम को भी बंद ही कर दिया गया है। ऐसे वयस्कों के लिए, किसी प्रकार से शिक्षा अर्जित करने के द्वार एक प्रकार से बंद हो गए हैं।

शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने का उल्लेख आर टी ई एक्ट में किया गया है, किंतु धरातल पर स्थिति यह है कि आज भी राजस्थान में ही अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और एक शिक्षक वाले विद्यालय बड़ी संख्या में हैं। ऐसी परिस्थिति में कैसे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है ?

आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण निर्धन और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, किंतु उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वास्तव में निर्धन व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पाते। यदि किसी को इस कोटा में अच्छे निजी विद्यालय में प्रवेश मिल भी जाए तो मंहंगी किताबों, ड्रेस एवं अन्य अनेक प्रकार के ऐसे खर्च होते हैं, जिन्हें वहन करना इन परिवारों के लिए संभव नहीं होता। सरकारी द्वारा निजी विद्यालयों को आर टी ई के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त बच्चों के लिए आवश्यक वित्तीय पुनर्भरण, संस्थाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण कई विद्यालय बच्चों को आरक्षित वर्ग में प्रवेश देने से इकार कर रहे हैं। बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन और उनके ठहराव के नाम पर इतने अधिक जटिल आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं कि शिक्षकों का पूरा समय और ध्यान केवल आंकड़ों में ही सिमट कर रह गया है।

इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों के शिक्षा उपेक्षित हो गई है। फलस्वरूप, 'प्रथम' संस्था द्वारा किए जा रहे वार्षिक सर्वेक्षण में यह सामने आता है कि पांचवी कक्षा के विद्यार्थी दूसरी कक्षा की सरल किताबों में नहीं पढ़ पाते। यदि यह कहा जाए कि बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता 15 वर्षों में पहले से भी अधिक खराब हुई है, तो गलत नहीं होगा।

सभी सरकारों, शिक्षाविदों, शिक्षा प्रशासकों और अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों को मिल बैठकर और सर्व शिक्षा करना होगा कि शिक्षा के अधिकार कानून आने के बाद भी भारत के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? लगता तो ऐसा है कि कुछ गिने चुने मंहंगे विद्यालयों में ही उपलब्ध है। अधिकांश विद्यालय में तो शिक्षा के नाम पर केवल व्यापार ही किया जा रहा है। निजीकरण की आड़ में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी में तो शिक्षा के नाम पर केवल व्यापार ही किया जा रहा है। निजीकरण की आड़ में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी

होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सरकारी अधिकारी, मंत्री एवं सत्ता में बैठे लोग, शिक्षा की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत किए जाने पर उसे स्वीकार करने का साहस नहीं करते हैं और अब अपने द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान करते हुए आत्मगुंथता के भाव में जो जाते हैं, जो वास्तविकता से बहुत परे होता है। यदि शिक्षा में सुधार करना है और राज्य के बच्चों को न्याय प्रदान करना है, तो आवश्यक है कि सभी संबंधित लोग मिल-बैठकर ईमानदारी से इस समस्या पर विचार करें और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा के अधिकार कानून की जो मूलभूत भावना थी उसके अनुसार कार्य करें।

अंत में हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा का अधिकार कानून बहुत अच्छे उद्देश्य से लाया गया था किंतु जिस प्रकार से इसकी तब 15 वर्षों में क्रियान्वित हुई है, उसने स्थिति को सुधारने के बजाय और खराब ही किया है। वास्तव में शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों के लिए हितकारी होने के बजाय अहितकारी ही अब तक सिद्ध हुआ है।

–राजेन्द्र भागवत ,
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

सामाजिक क्रांति के पुरोधा बाबा साहेब



पंकज मीणा

भारतीय राजनीति के कुछ सितारे ऐसे हैं जिनके साथ इतिहास ने और तदुपरांत जनमानस ने न्याय नहीं किया। सुभाष चन्द्र बोस, वीर सावरकर, डॉ. अम्बेडकर ऐसे महामानव हैं जिनके योगदान को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। इतिहास के विवाधियों व आम जनमानस सुभाष चन्द्र बोस को आजाद हिन्द फौज के संस्थापक, वीर सावरकर को दो जन्मों का काले पानी की सजा और डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता तथा सामाजिक आरक्षण के जन्मदाता रूप में ही जानता है। जबकि समस्त महापुरुषों को योगदान इन सब अल्प विषयों से

सैकड़ों गुना है। महापुरुषों को इतिहास में उचित स्थान न मिलने से स्वतंत्रता पश्चात के इतिहास, लेखक व शिक्षातंत्र पर भी प्रश्न खड़ा होना लाजमी है। शिक्षा के अभाव में कहे अथवा सदियों से देश में विद्यमान जातीय व्यवस्था जिसके कारण से देश में एक वर्ग अछूत मान कर मुखा धारा से कट सा गया था। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं था जिस कारण इस वंचित अछूत वर्ग की आर्थिक स्थिति रसातल में जा रही थी। तत्कालीन कांग्रेस के नेता जो स्वयं कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि थे, इस वर्ग के प्रति चिंता केवल प्रतीकात्मक थी। ऐसे में इस वर्ग से ही पैदा हुआ एक देव पुरुष डॉ. भीमराव अम्बेडकर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा नाम जिसने बड़े स्तर पहली बार पर सामाजिक क्रांति की अलख जगाई। तमाम मुश्किलों, प्रलोभन, दबाव के बावजूद अपने पथ पर अड़ीं रहें और सामाजिक क्रांति को एक मुकाम तक पहुंचाने में सफल हुए। आज वंचित वर्ग जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉ. भीमराव अम्बेडकर का है।

महापुरुष का सीमित इतिहास लिखने से कालान्तर में उस महापुरुष का योगदान भी सीमित नजर आता है, साथ ही छवि भी सीमित ही बन कर रह जाती है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने राजनैतिक सामाजिक जीवन के अवसान के समय बुद्ध धर्म अपना लिया था, हालांकि बाबा साहब के बुद्ध धर्म अपनाते से भारतीय समाज में गहरा प्रभाव पड़ा। परंतु इतिहास लेखन में यह छिपाया गया कि बाबा साहब हिन्दू धर्म कि जातीय व्यवस्था के विरोधी थे फिर भी हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। यहां तक कि 13 अप्रैल 1929 के रत्नागिरी जिले के कार्यक्रम में 6 हजार दलितों को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवित बांटने का कार्य भी किया था। जब कुछ दलित भाई इस्लाम में धर्मान्तरित हो रहे थे तो उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा कि “हम हिन्दू धर्म नहीं छोड़ेंगे”। डॉ. अम्बेडकर की इस घोषणा के बाद दलितों का इस्लाम में धर्मान्तरण बिल्कुल रूक सा गया। एक बार हैदराबाद के निजाम ने तो बाबा साहब को अपने समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म अपनाने पर प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये देने का

प्रलोभन तक दिया परंतु अपने विचारों के लिये प्रतिबद्ध बाबा साहब अपनी जड़ो से बिल्कुल नहीं डिगे और अनवरत अपने जीवन के मूलमंत्र “समता, स्वतन्त्रता व बंधुत्व” हेतु संघर्ष करते रहे। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। कम्युनल अवार्ड के माध्यम से अस्पृश्य वर्ग और अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण प्रदान किया। तत्कालीन कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड के द्वारा अस्पृश्य वर्ग को अलग निर्वाचन को भरपूर विरोध किया, जबकि अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, उन्होंने सटीक तथ्यों व अकाउंट तर्कों द्वारा कांग्रेस का विरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें अंग्रेजो का एजेंट तक घोषित किया। कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के द्वारा हद तक प्रताड़ित बाबा साहब अपने सामाजिक क्रांति के मूल से डिगे नहीं, यवरदा जेल में महात्मा गांधी से

चर्चा के दौरान उन्होंने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा कि “वंचित वर्ग की आबादी अल्पसंख्यकों से थोड़ी ही कम होने के बावजूद कांग्रेस अल्पसंख्यकों के आरक्षण को तो स्वीकार कर रही है परंतु दलितों को इतना विरोध क्या? डॉ. अम्बेडकर की सुझबूझ और प्रामाणिक तर्कों के आधार पर पूना पैक्ट समझौता हुआ और वंचित अस्पृश्य वर्ग का राजनैतिक आरक्षण मिला।

देश का वर्तमान युवा आर्टिफिशियल इन्टेलिजंस की छत्र छाया में पलित हो रहा है। ऐसे युवाओं को चाहिये कि महापुरुषों का इतिहास सघनता से अध्ययन करें। पूर्वाग्रह से ग्रसित विमर्श और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर लिखे गये इतिहास के अंशो ध्वस्त कर महापुरुषों को उचित सम्मान देवे। समता स्वतंत्रता और बंधुत्व को जो समता डॉ. अम्बेडकर तीसरे दशक में देखा था उसे चरित्रार्थ कर देश, समाज को मजबूत बनाये यही सही मायने में बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी।

–पंकज मीणा,
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता
राजस्थान।

अफ्रीकी देश बुरुंडी द्वारा जारी किया गया दुनिया का सबसे बड़ा बैंक नोट बीकानेर पहुंचा

बैंक नोट को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी संग्रहकर्ता सुधीर लूणावत ने अपने संग्रह में शामिल किया

बीकानेर, (निसं)। करेंसी संग्रह की दुनिया में बीकानेर एक बार फिर चर्चा में है। फरवरी 2025 में अफ्रीकी देश बुरुंडी द्वारा जारी किया गया दुनिया का सबसे बड़ा बैंक नोट अब बीकानेर में है। यह अद्वुत स्मारक नोट 10,000 बुरुंडी फ्रैंक मुद्रा वर्ग का है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी संग्रहकर्ता सुधीर लूणावत ने अपने संग्रह में शामिल

किया है। इस नोट का आकार, डिजाइन और सीमित संस्करण इसे दुनिया भर के संग्रहकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। दुनिया के इस सबसे बड़े नोट को सीआईटीईएस की 50वीं वर्षगांठ की स्मृति में जारी किया गया है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें दो सुरक्षा श्रेड, ग्लोब का वाटर

■ **फरवरी 2025 में अफ्रीकी देश बुरुंडी द्वारा जारी किया गया था दुनिया का सबसे बड़ा बैंक नोट**

■ **दुनिया के इस सबसे बड़े नोट को सीआईटीईएस की 50वीं वर्षगांठ की स्मृति में जारी किया गया है**

मार्क, रंग बदलते दो सुनहरे तारे दिखाई दे रहे हैं।

इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े

नोट का रिकॉर्ड मलेशिया के पास था, जहां वर्ष 2017 में 600 रिंगिट का स्मारक नोट जारी हुआ था, लेकिन

बुरुंडी का यह नया नोट आकार, कलात्मकता और उद्देश्य तीनों ही मामलों में उससे कहीं आगे निकल गया है।